कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/डी.एम.एफ./2026/ 6329 कोरबा, दिनाँक 15-06-2026

//जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा छ.ग. के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 260167394562, कोरबा, दिनांक 28.05.2026 के अनुसार जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं मे पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	पदनाम	कुल रिक्तियां	वर्ग															
			अजजा				अजा				अपिव				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टाफ नर्स	06	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	13	3	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0
3	ड्रेसर	04	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	फार्मासिस्ट	06	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
5	ग्रा.स्वा.संयो. महिला	05	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
6	ग्रा.स्वा.संयो. पुरूष	09	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1

टीपः- 1. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु केवल महिला अभ्यर्थी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यताः-

1. **स्टाफ नर्स :-**

(1) बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी.नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) नर्सिंग कौंसिल से परिचारिका (Nurse) के रूप मे जीवित पंजीयन होना चाहिए।

2. **मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट :-**

(1) 10+2 पध्दति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) पैथोलॉजी टेक्निशियन का 01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिये या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिये, जो पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीयन हेतु मान्य हो तथा

(3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप मे जीवित पंजीयन होना चाहिये।

3. फार्मासिस्ट :-

(1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा या डिग्री तथा

(2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन।

4. ड्रेसर :-

(1) विज्ञान विषय में 10+2 पध्दति में 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

(3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए ।

5. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला :-

(1) उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

(3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए।

6. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष :-

(1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं

(3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।

नियम एवं शर्तें :-

01. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध मे अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नही होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया मे संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

02. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्षम जांच की जावेगी तथा पात्र-अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात् दस्तावेज प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किये जायेंगे।

03. उक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे।

04. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति मे सामान्य मेरिट सूची मे से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

07. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा मे छूट के संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

08.संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष या संविदा/सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति तक अथवा स्थानांतरण द्वारा पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। इसमे किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

09.उपरोक्त संविदा में मासिक एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नही दिया जावेगा।

10.संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिये कभी भी समाप्त की जा सकती है।

11.संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप मे जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नही होगी।

12.आयु संबंधी छूट के लिए तद्संबंधी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14.किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ नियुक्ति/अन्य आकस्मिक निधि मे कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 03 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला अधिकारी का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा ठेके के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।

15.छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मत्रांलय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.02. 2023 मे उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना **वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं मे नियुक्त** एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

16.रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह एकमुश्त)	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	स्टाफ नर्स	16500.00	बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी.नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी)	85 प्रतिशत
			स्टाफ नर्स के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक

			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
2	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	14000.00	पैथोलॉजी टेक्निशियन का 01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिये या अन्य समकक्ष डिप्लोमा	85 प्रतिशत
			एम.एल.टी. के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
3	फार्मासिस्ट	14000.00	फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) मे डिग्री/डिप्लोमा	85प्रतिशत
			फार्मासिस्ट के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
4	ड्रेसर	12000.00	आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण	85 प्रतिशत
			ड्रेसर के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
5	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला	12000.00	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण	85 प्रतिशत
			ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

क्र	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह एकमुश्त)	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
6	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष	14000.00	बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो,	85 प्रतिशत
			ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

टीपः- कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति मे संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाना है। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान एक वर्ष मे 06 माह तक कार्य अनुभव, दोनो होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।

17. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
18. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार संगत दिव्यांगता/ निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगें। स्टाफ नर्स हेतु OL (एक पैर), मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हेतु OL (एक पैर) HH (श्रवण बाधित), फार्मासिस्ट हेतु OL (एक पैर) BL (दोनो पैर), ड्रेसर हेतु OL (एक पैर) HH (श्रवण बाधित), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ) दिव्यांग/निःशक्तजन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी छूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन मे चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. विज्ञापित पदों हेतु वांछित दस्तावेज संलग्न नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नही किया जावेगा।
22. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पर काई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध मे आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नही दी जावेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

132.

23. आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित <u>पद का नाम (**Name of Post**)</u> जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग <u>(**Category**)</u> स्पष्ट रुप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।

24. विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नही होने की दशा मे चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

25. प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 1½ वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य मे उक्त पदों के आलावा अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।

26. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

28. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

29. आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा, पि.न. 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 30.06.2026 शायं 5:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

30. उक्त विज्ञापित पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा-निर्देश/सूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in मे किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों, जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहेंगे। कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नही दी जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

पृ.क्रमांक/डी.एम.एफ./2026/ 6330 **कोरबा, दिनाँक** 15.06.2026

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर, संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कोरबा की ओर विज्ञापन जिले के शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

//आवेदन–प्रपत्र//

आवेदित पद का नाम – ....

नवीनतम रंगीन फोटो
आवेदक का हस्ताक्षर

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) – ....
   (अंग्रेजी मे) – ....
2. पुरूष/महिला – ....
3. पिता/पति का नाम – ....
4. माता का नाम – ....
5. जन्म तिथि (अंको में) – ....
   शब्दों मे – ....
6. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति मे आयु – वर्ष..................माह...................... दिन......................
7. छ0ग0 का मूल निवास हाँ/नहीं – ....
8. जिला का नाम –..
9. वर्तमान पता – ....
   ....
   ....
10. स्थाई पता – ....
    ....
    ....
11. मोबाईल नम्बर – ....
12. ई.मेल आई.डी. – ....
13. वर्ग (अना./अपिव/अजा/अजजा) – ....
14. दिव्यांग (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत – ....
15. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (हॉ/नही)– ....
16. विवाहित/अविवाहित – ....। यदि विवाहित है तो जीवित बच्चों की संख्या – ....
17. शैक्षणिक योग्यता–

क्रमांक	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

18. तकनीकी योग्यता–

क्रमांक	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

19. निर्धारित कौंसिल का पंजीयन कमांक एवं दिनांक ....

20. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

21. संलग्न दस्तावेज की सूचीः–

1.. 2.. 3..

4.. 5.. 6..

7.. 8.. 9..

10.. 11.. 12..

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मै घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन मे दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदित पद के लिए मै निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद हेतु मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त की जा सकती है एवं मेरे विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान..

नाम..

दिनांक..

पता..

कार्यालय का नाम

क्रमांक............... दिनांक............

सेवा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.................................., पिता/पति ....,पदस्थापना स्थल (शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल मे) .... .में ....(पदनाम) के पद पर कुल सेवा अवधि वर्ष........ माह........ दिन........तक कार्यरत है/थे। इनका सेवा अनुभव का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदस्थापना स्थल	विकास खण्ड	जिला का नाम	सेवा अवधि का विवरण					नियुक्ति का प्रकार (संविदा/एन.एच.एम./तदर्थ/डी.एम.एफ. एवं अन्य)	नियुक्ति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क
				दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह	दिन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

उपरोक्त दी गई जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

जिला अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

कार्यालय का नाम एवं पता

क्रमांक..................

दिनांक..................

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं मे नियुक्त एवं 01 वर्ष मे 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक दिये जाने प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. श्री/श्रीमती/सुश्री.................................पिता/ पति का नाम........................ .... को इस संस्था.......................... (संस्था का नाम) मे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान .... के पद (पदनाम) पर अस्थाई स्वास्थ्य कर्मी बतौर दिनांक.................. को नियुक्त किया गया था एवं
2. श्री/श्रीमती/सुश्री............................ दिनांक................ से दिनांक............. तक अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी के रूप के रूप मे कार्यरत है/थे।
3. उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय/संस्था मे एक वर्ष मे छः माह (कुल........... वर्ष............. माह..........दिन) तक सेवा दिया गया है/था।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/ 2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 वं पत्र क्रमांक एफ 1-67/2021/ सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03 फरवरी 2023 के परिपालन मे श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के विज्ञापन क्रमांक................ दिनांक............ मे विज्ञापित संविदा भर्ती के पद .... (पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक की पात्रता हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जिला अधिकारी के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)